18 सितंबर, 2014 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 63वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 63.10 : विविध मामले

(i) 4 X 660 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के लिए दाहेज एसईजेड के माध्यम से कोल कनवेयर इंस्टाल करने के लिए मार्गाधिकार के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अडानी पावर दाहेज लिमिटेड (एपीडीएल) का अनुरोध

1704.37.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स दाहेज लिमिटेड का एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एपीडीएल ग्राम सुवा, तालुक दाहेज, जिला भड़ूच में जीआईडीसी की संपदा में 4 x 660 मेगावाट (2640 मेगावाट) की आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित कर रहा है। प्रस्तावित प्लांट के लिए साइट अधिसूचित दाहेज एसईजेड, भाग 1 के समीप पश्चिम दिशा में स्थित है। 60 मीटर से 135 मीटर चौड़ाई की रेंज में यूटिलिटी कोरिडोर का आरओयू सिल्वर कवर के तहत विभिन्न गैस पाइप लाइनों, वाटर पाइप लाइनों, तेल पाइप लाइनों आदि के साथ दाहेज एसईजेड के भाग 1 के अंदर मौजूद है।

एपीडीएल में मौजूदा यूटिलिटी कोरिडोर में एक छोर से दूसरे छोर तक 3.8 किलोमीटर की लंबाई में दाहेज एसईजेड के भाग 1 से होते हुए कनवेयर सिस्टम इंस्टाल करने के लिए अनुरोध किया है। दाहेज एसईजेड के अधिकारियों के साथ एपीडीएल द्वारा 9 जनवरी 2014 को संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि उपलब्ध यूटिलिटी कोरिडोर में कोल कनवेयर इंस्टाल करने के लिए स्थान उपलब्ध है। तदनुसार प्रस्ताव में उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन कोल कनवेयर इंस्टाल करने के लिए मार्गाधिकार प्रदान करने के लिए मैसर्स एपीडलएल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एपीडीएल ने यह वचन दिया है कि एसईजेड से बाहर कोई राजस्व लीकेज या ड्यूटी फ्री माल का विपथन नहीं होगा तथा एसईजेड में अन्य यूनिटों को कोई असुविधा भी नहीं होगी।

दाहेज एसईजेड लिमिटेड से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने पर विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा विकास आयुक्त, केएसईजेड को प्रस्ताव अग्रेषित किया गया जिन्होंने विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड, दाहेज एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी तथा दाहेज एसईजेड (विकासक) के प्रतिनिधि के साथ साइट का निरीक्षण किया। पाया गया कि पर्याप्त स्थान उपलब्ध है जिसके माध्यम से एक ओर बंदरगाह से एसईजेड तक तथा दूसरी ओर एसईजेड से एपीडीएल के प्रस्तावित पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए प्रस्तावित आयतकार गैलरी का निर्माण किया जा सकता है। एपीडीएल ने 8100 एमएम व्यास के राउंड कंक्रीट पिलर का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है तथा दो पिलर के बीच दूरी 36 मीटर रखी जाएगी। खड़े किए जाने वाले पिलर की कुल संख्या 110 के आसपास होगी। पिलर की ऊंचाई 6 मीटर होगी तथा इंटरसेक्शन पर इसकी ऊंचाई 15 मीटर होगी। एसईजेड की सन्निकटता किसी भी रूप में भंग नहीं होगी तथा पुरुषों एवं सामग्रियों के फ्री मूवमेंट का सुनिश्चय किया जाएगा।

उपर्युक्त के आधार पर निरीक्षण टीम में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विहित शर्तों एवं नियमों तथा प्रस्ताव में प्रदान की गई कुछ अतिरिकत शर्तों के अधीन आयतकार कनवेयर गैलरी स्थापित करने के लिए मैसर्स एपीडलएल को मार्गाधिकार प्रदान करने के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया गया (अनुबंध 1)।

तदनुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 30 जून 2014 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने तथा औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड के क्षेत्रफल को 10.42 हेक्टेयर से घटाकर 6.31 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) (एसईजेड 1) जो महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध

15.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 26 अक्टूबर, 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अनुमोदन पत्र दिनांक 21 सितंबर 2010 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन की भूमि का क्षेत्रफल 15.50 हेक्टेयर से घटाकर 10.42 हेक्टेयर किया गया। विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता 30 जून, 2014 को समाप्त हो गई। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 6.31 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
(ii) विकासक भूमि के इस हिस्से पर 100000 वर्गमीटर का विकास पूर्ण करने तथा एसईजेड (संशोधन) नियमावली 2013 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगा।
(iii) विकासक ने एसईजेड के रूप में भूमि को अधिसूचित कराने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के साथ प्रक्रिया शुरू की है तथा विस्तार एवं विकास प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अनुमोदन की प्राप्ति पर भारत सरकार को पुनः सूचित करेगा।

वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कारण के रूप में यह बताया गया है कि मुकदमा के कारण तथा पक्षकारों जो भूमि का हस्तांतरण करने के लिए सहमत हुए थे, के साथ अन्य वाणिज्यिक मतभेदों के कारण भूमि के अधिग्रहण में विलंब हुआ।

विकासक ने भी एसईजेड के 10.42 हेक्टेयर के औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल से 4.11 हेक्टेयर की कटौती के लिए भी अनुरोध किया है जिससे औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड का क्षेत्रफल 6.31 हेक्टेयर हो जाएगा। क्षेत्रफल में कटौती के लिए कारण के रूप में यह बताया गया है कि 4.11 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण में कठिनाई हो रही है। क्षेत्रफल में प्रस्तावित कटौती के बाद शेष क्षेत्र संस्पर्शी बना रहेगा।

विकास आयुक्त ने एक साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने तथा औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड का क्षेत्रफल 10.42 हेक्टेयर से घटाकर 6.31 हेक्टेयर करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) औपचारिक अनुमोदन को रद्द करने का प्रस्ताव

मद संख्या 63.7 में उल्लिखित प्रस्तावों के अलावा औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

क्रम	विकासक / सह	क्षेत्र	औपचारिक	क्षेत्र	अभ्युक्तियां

संख्या	विकासक का नाम		अनुमोदन की तारीख		
1.	मैसर्स रुचि रियल्टी होल्डिंग्स लिमिटेड (गांव कन्नाडिया, तहसील एवं जिला (इंदौर, मध्य प्रदेश)	आईटी / आईटीईएस	27 मार्च, 2012	आईएसईजेड	विकासक को औपचारिक अनुमोदन 27 मार्च 2012 को प्रदान किया गया था जो 26 मार्च 2015 तक वैध है। विकासक ने एसईजेड स्थापित करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया। विकासक को आईएसईजेड द्वारा 26 जून 2014 को एसईजेड की अधिसूचना के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। इसके जवाब में विकासक ने 7 जुलाई 2014 को सूचित किया कि वे भूमि को संस्पर्शी बनाने में समर्थ नहीं हैं तथा अधिसूचना जारी करने से संबंधित औपचारिकताओं का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं। विकासक ने एसईजेड स्थापित करने के लिए अपने आवेदन पर विचार न करने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को 7 फरवरी 2008 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.0498 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब यह एसईजेड क्रियाशील हो गया है।

विकासक अर्थात मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव (अनुबंध 2) प्रस्तुत किया है :

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न (31 मार्च 2009 से)

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1.	विस्तार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	9999	99.99
2.	विस्तार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नामिती के रूप में श्री सुप्रीत सिंह सूरी	01	0.01
	कुल :	10000	100 प्रतिशत

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1.	बीआरईपी एशिया एसबीएस ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) लिमिटेड, कैमन द्वीप	38	0.38
2.	बीआरईपी 7 एसबीएस ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) लिमिटेड, कैमन द्वीप	11	0.11
3.	बीआरईपी एशिया एसजी ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	7962	79.62
4.	बीआरईपी 7 एसजी ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	1989	19.89
	कुल :	10000	100

मैसर्स विस्तार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत शेयरों का धारक है तथा 2 सह विकासक (मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड) मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनियां हैं। एसईजेड विकासक संस्था का 100 प्रतिशत स्वामित्व केवल मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री पर क्रेता को हस्तांतरित हो जाएगा। सह विकासकों की शेयर होल्डिंग मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ बनी रहेगी तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि उनके पैन और पासपोर्ट के साथ क्रेताओं एवं प्रायोजक मैसर्स ब्लैकस्टोन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के ब्यौरे को अनुमोदन बोर्ड द्वारा इक्विटी के हस्तांतरण की अनुमति जारी करने के लिए शर्त बनाया जाए। उन्होंने लेनदेन को पूरा करने से पूर्व उक्त शर्त के अनुपालन के लिए इसे प्रस्तुत करने का वचन दिया है। यह भी बताया गया है कि क्रेता करार के लिए अनुमोदन बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता है और उन्होंने ब्लैक स्टोन तथा विस्तार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच की गई टर्म शीट की प्रति संलग्न की है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

******